कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग,
सिरपुर भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

—:: विज्ञप्ति ::—

क्रमांक 39012 /स्था./प्र.अ./15 रायपुर, दिनांक /05/2016

छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3—7/2015/19/स्था—3 दिनांक 18.11.2015 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर संविधान के पांचवी अनुसूची के अंतर्गत बस्तर तथा सरगुजा संभाग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को केवल बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासियों से ***छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर के माध्यम से दिनांक 28.05.2016 से ऑनलाइन आवेदन पत्र व्यापम की वेबसाईट "cgvyapam.choice.gov.in" से आमंत्रित किये जाते हैं।***

परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है :—

1. परीक्षा की तिथि — 03 जुलाई 2016, रविवार,
2. परीक्षा का समय — (अ) शीघ्रलेखक, स्टेनो टायपिस्ट, डाटा एन्ट्री आपरेटर, सहायक ग्रेड—3 — पूर्वान्ह 09.00 से 12.15 बजे तक

   (ब) अनुरेखक (सिविल), सहायक मानचित्रकार (सिविल) — अपरान्ह 02.00 से 05.15 बजे तक
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि — 28.05.2016 (शनिवार)

   ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भरने की अंतिम तिथि — 10.06.2016 (शुक्रवार) रात्रि 11.59 तक

   ऑनलाइन आवेदन पर ऑफलाइन पेमेंट हेतु SBI Bank के चालान प्राप्त करने की अंतिम तिथि — 11.06.2016 (शनिवार) सायं 05.00 बजे तक

   ऑफलाइन (SBI Bank) के द्वारा प्राप्त चालान द्वारा पेमेंट की अंतिम तिथि — 13.06.2016 (सोमवार) बैंक के कार्यालयीन समय तक
4. परीक्षा शहर — 02 संभागीय मुख्यालय —अंबिकापुर (सरगुजा) एवं जगदलपुर (बस्तर)
5. परीक्षा शुल्क —

सामान्य वर्ग	— 350/—
अन्य पिछड़ा वर्ग	— 250/—
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन	— 200/—

बस्तर तथा सरगुजा संभाग के तृतीय श्रेणी के जिलेवार रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

स. क्र.	जिले का नाम	पद का नाम	रिक्त पदों की वर्गवार कुल संख्या (1)					कालम 1 में अंकित कुल रिक्त पदों में से वर्गवार मुक्त पदों की संख्या (2)					कालम 1 में अंकित कुल रिक्त पदों में से महिला हेतु आरक्षित पदों की संख्या (3)					कालम 1 में अंकित कुल रिक्त पदों में से भू.पू. सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या (4)					कालम 1 में अंकित कुल रिक्त पदों में से निःशक्तजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या (5)				
			UR	ST	SC	OBC	कुल	UR	ST	SC	OBC	कुल	UR	ST	SC	OBC	कुल	UR	ST	SC	OBC	कुल	UR	ST	SC	OBC	कुल
1	सरगुजा	शीघ्रलेखक	1	-	-	-	**01**	1	-	-	-	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सहायक मानचित्रकार (सिविल)	2	5	1	1	**09**	2-	4	1	1	**8**	-	1	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		अनुरेखक (सिविल)	1	2	-	-	**03**	1	2	-	-	**3**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सहायक ग्रेड–3	9	22	2	6	**39**	5	11	2	4	**22**	3	7	-	2	**12**	1	2	-	-	**3**	-	2	-	-	**2**
		डाटा एन्ट्री आपरेटर	2	5	-	1	**08**	2	4	-	1	**7**	-	1	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		स्टेनो टायपिस्ट	1	2	-	1	**04**	1	2	-	1	**4**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	सूरजपुर	सहायक मानचित्रकार (सिविल)	1	1	-	-	**02**	1	1	-	-	**2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		अनुरेखक (सिविल)	1	-	-	-	**01**	1	-	-	-	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सहायक ग्रेड–3	1	2	-	1	**04**	1	2	-	1	**4**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		डाटा एन्ट्री आपरेटर	1	-	-	-	**01**	1	-	-	-	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		स्टेनो टायपिस्ट	1	-	-	-	**01**	1	-	-	-	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	बलरामपुर	सहायक मानचित्रकार (सिविल)	1	-	-	-	**01**	1	-	-	-	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		अनुरेखक (सिविल)	1	-	-	-	**01**	1	-	-	-	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सहायक ग्रेड–3	1	1	-	-	**02**	1	1	-	-	**2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		डाटा एन्ट्री आपरेटर	1	-	-	-	**01**	1	-	-	-	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		स्टेनो टायपिस्ट	1	-	-	-	**01**	1	-	-	-	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	जशपुर	सहायक मानचित्रकार (सिविल)	1	2	-	1	**04**	1-	2	-	1	**4**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		अनुरेखक (सिविल)	1	1	-	-	**02**	1	1	-	-	**2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सहायक ग्रेड–3	2	6	1	1	**10**	2	4	1	1	**8**	-	2	-	-	**2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		डाटा एन्ट्री आपरेटर	1	1	-	-	**02**	1	1	-	-	**2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		स्टेनो टायपिस्ट	1	1	-	-	**02**	1	1	-	-	**2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	कोरिया	सहायक मानचित्रकार (सिविल)	1	-	-	-	**01**	1	-	-	-	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		अनुरेखक (सिविल)	1	-	-	-	**01**	1	-	-	-	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सहायक ग्रेड–3	2	2	-	1	**05**	2	2	-	1	**5**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		डाटा एन्ट्री आपरेटर	1	-	-	-	**01**	1	-	-	-	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		स्टेनो टायपिस्ट	1	-	-	-	**01**	1	-	-	-	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	बस्तर	शीघ्रलेखक	1	-	-	-	**01**	1	-	-	-	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सहायक मानचित्रकार (सिविल)	2	4	-	1	**07**	2	3	-	1	**6**	-	1	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		अनुरेखक (सिविल)	1	2	-	-	**03**	1	2	-	-	**3**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सहायक ग्रेड–3	7	21	1	4	**33**	3	11	1	3	**18**	2	7	-	1	**10**	1	2	-	-	**3**	1	1	-	-	**2**
		डाटा एन्ट्री आपरेटर	2	6	-	2	**10**	2	4	-	2	**8**	-	2	-	-	**2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		स्टेनो टायपिस्ट	1	3	-	1	**05**	1	2	-	1	**4**	-	1	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

स. क्र.	जिले का नाम	पद का नाम	रिक्त पदों की वर्गवार कुल संख्या (1)					कालम 1 में अंकित कुल रिक्त पदों में से वर्गवार मुक्त पदों की संख्या (2)					कालम 1 में अंकित कुल रिक्त पदों में से महिला हेतु आरक्षित पदों की संख्या (3)					कालम 1 में अंकित कुल रिक्त पदों में से भू.पू. सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या (4)					कालम 1 में अंकित कुल रिक्त पदों में से निःशक्तजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या (5)				
			UR	ST	SC	OBC	कुल	UR	ST	SC	OBC	कुल	UR	ST	SC	OBC	कुल	UR	ST	SC	OBC	कुल	UR	ST	SC	OBC	कुल
7	कोण्डागांव	सहायक मानचित्रकार (सिविल)	-	2	-	-	**02**	-	2	-	-	**2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		अनुरेखक (सिविल)	1	-	-	-	**01**	1	-	-	-	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सहायक ग्रेड–3	1	3	-	1	**05**	1	2	-	1	**4**	-	1	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		डाटा एन्ट्री आपरेटर	1	-	-	-	**01**	1	-	-	-	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		स्टेनो टायपिस्ट	1	-	-	-	**01**	1	-	-	-	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	दंतेवाड़ा	सहायक मानचित्रकार (सिविल)	-	2	-	-	**02**	-	2	-	-	**2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		अनुरेखक (सिविल)	1	-	-	-	**01**	1	-	-	-	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सहायक ग्रेड–3	-	2	-	1	**03**	-	2	-	1	**3**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		डाटा एन्ट्री आपरेटर	1	-	-	-	**01**	1	-	-	-	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		स्टेनो टायपिस्ट	1	-	-	-	**01**	1	-	-	-	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	सुकमा	सहायक मानचित्रकार (सिविल)	-	4	-	4	**04**	-	3	-	-	**3**	-	1	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		अनुरेखक (सिविल)	-	2	-	-	**02**	-	2	-	-	**2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सहायक ग्रेड–3	1	11	-	1	**13**	1	7	-	1	**9**	-	3	-	-	**3**	-	1	-	-	**1**	-	-	-	-	-
		डाटा एन्ट्री आपरेटर	-	2	-	-	**02**	-	2	-	-	**2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		स्टेनो टायपिस्ट	-	2	-	-	**02**	-	2	-	-	**2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	नारायणपुर	सहायक मानचित्रकार (सिविल)	-	2	-	-	**02**	-	2	-	-	**2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		अनुरेखक (सिविल)	1	-	-	-	**01**	1	-	-	-	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सहायक ग्रेड–3	1	3		1	**05**	1	2	-	1	**4**	-	1	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		डाटा एन्ट्री आपरेटर	1	-	-	-	**01**	1	-	-	-	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		स्टेनो टायपिस्ट	1	-	-	-	**01**	1	-	-	-	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	बीजापुर	सहायक मानचित्रकार (सिविल)	-	2	-	-	**02**	-	2	-	-	**2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		अनुरेखक (सिविल)	1	-	-	-	**01**	1	-	-	-	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सहायक ग्रेड–3	-	4	-	1	**05**	-	3	-	1	**4**	-	1	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		डाटा एन्ट्री आपरेटर	1	-	-	-	**01**	1	-	-	-	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		स्टेनो टायपिस्ट	1	-	-	-	**01**	1	-	-	-	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	कांकेर	शीघ्रलेखक	1	-	-	-	**01**	1	-	-	-	**01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सहायक मानचित्रकार (सिविल)	1	1	-	-	**02**	1	1	-	-	**2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		अनुरेखक (सिविल)	1	2	-	-	**03**	1	2	-	-	**3**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सहायक ग्रेड–3	3	7	1	2	**13**	2	5	1	2	**10**	1	2	-	-	**3**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		डाटा एन्ट्री आपरेटर	1	3	-	1	**05**	1	2	-	1	**4**	-	1	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		स्टेनो टायपिस्ट	1	2	-	-	**03**	1	2	-	-	**3**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

यह नियुक्तियॉ माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के रिट पिटीशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होंगी ।

नियम एवं शर्तें :—

(1) वेतनमान का विवरण —

स.क्र.	पद का नाम	वेतनमान
1	शीघ्रलेखक	5200—20200 + 2800
2	स्टेनो टायपिस्ट	5200—20200 + 1900
3	डाटा एन्ट्री आपरेटर	5200—20200 + 2400
4	सहायक ग्रेड—3	5200—20200 + 1900
5	अनुरेखक (सिविल)	5200—20200 + 1900
6	सहायक मानचित्रकार (सिविल)	5200—20200 + 2400

(2) शैक्षणिक योग्यता —

(1) शीघ्रलेखक :—

(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से —

शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए :—

हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

(3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

(2) स्टेनो टायपिस्ट :—

(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

(3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

(3) डाटा एन्ट्री आपरेटर :—

(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

पुरानी हायर सेकेडरी उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा।

(2) डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अग्रेंजी में डाटा एन्ट्री की गति 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टा। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

(4) सहायक ग्रेड–3 :–

(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा

(3) कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति।
(गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

(4) अनुरेखक (सिविल) :–

ड्राइंग को एक विषय के रूप में लेकर छत्तीसगढ़ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) या उसके समतुल्य कोई परीक्षा पास का प्रमाण पत्र या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता किसी अन्य बोर्ड या संस्था का प्रमाण पत्र।

या

छत्तीसगढ़ बोर्ड या मान्यता प्राप्त किसी अन्य समतुल्य बोर्ड का उच्चतर माध्यमिक (तकनीकी) परीक्षा का प्रमाण पत्र ।

या

सर्वेक्षण का व्यवसायिक प्रमाण पत्र (सर्वेयर ट्रेड सर्टिफिकेट)।

(6) सहायक मानचित्रकार (सिविल) :–

वास्तुकला में पत्रोपाधि (डिप्लोमा)

या

इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट से सिविल यांत्रिकी में मानचित्रकला (ड्राफ्ट्समेनशीप) में प्रमाण पत्र ।

या

सर्वेक्षण का व्यवसायिक प्रमाण पत्र (सर्वेयर ट्रेड सर्टिफिकेट)।

या

इंडस्ट्रीयल कांउसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (त्रिवर्षीय) का शिक्षुता प्रमाण पत्र।

(3) शीघ्रलेखक, स्टेनो टायपिस्ट, सहायक ग्रेड–3 एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद हेतु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 9–4/2015/1/3 दिनांक 23.01.2015 द्वारा जारी निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा जारी कम्प्यूटर विषय में परीक्षा प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा :–

1. मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।
2. मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईंस/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/मॉर्डन आफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)
3. वैधानिक रूप गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड युनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईंस/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि।
4. DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।

(4) पात्रता की शर्ते –

(i) आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर/सरगुजा संभाग के अंतर्गत संबंधित जिले के स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। अर्थात् आवेदक जिस जिले के रिक्त पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें उस जिले का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

(ii) कोई भी उम्मीद्वार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(iii) कोई भी उम्मीद्वार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(iv) **आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट रहेगी)। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 616/922/1 (3)/74 दिनांक 18.09.1974 के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को छूट रहेगी। किन्तु उन्हें नियुक्ति के पूर्व रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक होगा।**

(v) आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(5) आयु सीमा :–

दिनांक 01.01.2016 की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक न हो। आरक्षित वर्ग के लिए नियमानुसार समस्त छूट सहित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। (छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/3/एक दिनांक 17.12.2015 में दिये गये निर्देशानुसार)

उच्चतम आयु सीमा में छूट :–

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीद्वारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :–

(5) (एक) (1) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

(2) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ–7–26–93/1 आ.प. दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

(3) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कन्टिनजेन्सी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी ।

(4) ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो , कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु उसके परिणामस्वरूप आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :– 'छंटनी किये गये शासकीय सेवक, से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया है ।

(5) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले यह अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

(6) महिलाओं के लिए आयु में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी ।

(7) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–1–2/02/1/3 दिनांक 02.06.04 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा वह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है । (अनुसूचित जाति /जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे ।

(8) स्वयं सेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होम गार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(9) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयुसीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी ।

(5) (दो) (1) आदिमजाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

टीप :–(1) बिंदु क्रमांक 3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी ।

(2) बिंदु क्रमांक 3(दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी । यह छूट बिंदु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी ।

(3) उपरोक्त 5(एक) और (दो) उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी ।

(4) छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाणपत्र शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा ।

(5) काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र :– आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्रों और अंक सूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियॉ प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके अभाव में उम्मीदवारी को अपूर्ण मानकर अस्वीकार किया जा सकता है और इस संबंध में विभाग द्वारा कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार किया जाएगा ।

(5) (अ) जन्म तिथि प्रमाणपत्र के लिए हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाणपत्र।

(ब) हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन सभी परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है।

(स) अनूसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र के अलावा जाति प्रमाण–पत्र के सत्यापन अथवा प्रमाणीकरण संबंधी प्रमाण–पत्र की मांग आवेदकों से नहीं की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13–4/2006/आ.प्र./1–3 दिनांक 29.06.2013 के कंडिका–6 (2) के अनुसार ''आरक्षित पद पर नियुक्ति के उपरांत आवेदक के उपर्युक्त अनुक्रम में निर्धारित शपथ पत्र प्राप्त किया जावेगा, जिसमें प्रमाण–पत्र गलत अथवा कपट पूर्वक अभिप्राप्त करने की बात प्रमाणित होने की स्थिति में प्रदत्त लाभ एवं सुविधाओं पर व्यय की गई राशि भू राजस्व की भॉति वसूल

किए जाने से सहमति एवं प्रवृत्त कानूनों के तहत दण्ड का भागी होने संबंधी आशय निहित होगा।

(द) विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

(फ) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(य) उपरोक्त कंडिका 5 एक(1), 5 एक(2), 5 एक(3) , 5एक(4), 5एक(5), 5एक(7), 5एक(8) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए नियोक्ता अधिकारी /सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र ।

(र) कंडिका–5(एक) (9) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों के द्वारा सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण पत्र ।

(ल) कंडिका –5 दो (1) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का प्रमाणपत्र ।

(व) कंडिका –5 दो(2) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के लिए ''विक्रम पुरस्कार'' प्राप्त होने का प्रमाण पत्र ।

(6) चयन प्रकिया :–

1. उपरोक्त आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13–14/2009/आ.प्र./1–3 दिनांक 04.12.2012 के निर्देशानुसार रखा गया है।
2. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी तथा उपरोक्त पदों हेतु विभाग को जिलेवार मेरिट सूची उपलब्ध करायी जावेगी।
3. विभाग द्वारा पदवार (शीघ्रलेखक, स्टेनो टायपिस्ट, डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं सहायक ग्रेड–3 पद हेतु) रिक्त पदों के विरूद्व 1:5 में अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर कम्प्यूटर कौशल/दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा।
4. कौशल परीक्षा में दक्षता के आधार पर परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित किया जावेगा । कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में उनके प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची व्यापम द्वारा विभाग को सौंपी जावेगी। कौशल परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र नहीं होंगे।
5. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता प्रदान की जायेगी, जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
6. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर को होगा।
7. चयनित उम्मीद्वार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. चयनित उम्मीद्वार को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी सक्षमता फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति के शर्तों के अनुसार किसी भी समय आवेदक की सेवाएं समाप्त की जा सकती है।
10. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अधीनस्थ जिलों के लिए है। अतः चयनित उम्मीदवारों को बस्तर/सरगुजा संभाग के अंतर्गत संबंधित जिले (आवेदक जिस जिले के लिए आवेदन पत्र भरे है) के रिक्त पद के विरूद्व ही उनकी पदस्थापना की जावेगी।
11. चयन के लिए प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
12. लोक निर्माण विभाग के (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम 2015 के तहत सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों की सेवा 02 वर्ष के लिए परिवीक्षा अवधि पर होगी। तत्पश्चात् योग्य पाये जाने पर नियमित किया जायेगा।
13. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूचियों की स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रतियों को काउंसिलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा । मूल प्रमाण पत्रों को भी अपने साथ लाना होगा ।
14. सीधे प्राप्त हुए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
15. जाति के समर्थन में उम्मीदवार को शासन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति काउंसिलिंग के समय लाना अनिवार्य है।

16. शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में कार्यरत् कर्मचारियों के लिए उनका आवेदन पत्र नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
17. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक उल्लेखित करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा ।
18. विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है। आवश्यकतानुसार संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
19. जन्मतिथि के प्रमाणीकरण हेतु हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा ।
20. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिए जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे।
21. प्रतीक्षा सूची जारी दिनांक से 01 वर्ष के लिए वैध होगी।
22. व्यापम द्वारा ऑनलाईन एडमिट कार्ड जारी किया जावेगा। डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा।
23. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तो को पूरा करते हैं। अतः Online आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करते हैं। काउंसिलिंग में सम्मिलित किये जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।

नोट –परीक्षा संचालन सम्बंधी व्यापम का नियम तथा परीक्षा पाठ्यक्रम, व्यापम की वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर देखा जा सकता है।

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
रायपुर (छत्तीसगढ़)